

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 2632] | नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2019/श्रावण 18, 194 1 |
|-----------|--|
| No. 2632] | NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2019/SHRAVANA 18, 1941 |

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2019

दुकान एवं आवास प्लॉटों/परिसरों/दुकान वाले प्लॉटों, जिन्हें बाद में स्थानीय बाजारों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों को युक्तिसंगत बनाना।

का.आ. 2891 (अ).—िदल्ली विकास प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का.आ. 3173 (अ) दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा अधिसूचित दरों में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा दुकान एवं आवास प्लॉटों/परिसरों/दुकान वाले प्लॉटों, जिन्हें बाद में स्थानीय बाजारों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभारों की दरों को नीचे दी गई तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार अधिसूचित करता है:-

प्रति वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र की दरें रुपये में

| उपयोग का प्रकार | कॉलोनियों की श्रेणी | दिनांक 29 जून, 2018 की अधिसूचना के भाग 'ख' के अनुसार मौजूदा दरें | प्रस्तावित दरें |
|---|------------------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| दुकान एवं आवास | श्रेणी ए एवं बी | 22274/- | 6136/-* |
| प्लॉटों/परिसरों/दुकान वाले | श्रेणी सी एवं डी | 14839/- | 4088/-* |
| प्लॉट, जिन्हें बाद में स्थानीय बाजार के रूप में निर्दिष्ट किया | श्रेणी ई,एफ, जी एवं एच | 5576/- | 1536/-* |
| गया है। | | | |

4134 GI/2019 (1)

*एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों हेतु श्रेणी "ए से एच तक" के लिए उपयोग परिवर्तन प्रभार 12272/- रु प्रति वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र होगा।

उपर्युक्त दरें केवल 28 जून, 2020 तक मान्य रहेंगी। उसके बाद इनकी समीक्षा की जाएगी और उपर्युक्त कॉलम 3 में दिए अनुसार इन्हें निर्धारित किया जाएगा।

का.आ. संख्या 3173 (अ) दिनांक 29 जून, 2018 की अधिसूचना में यथा-उल्लिखित अन्य निबंधन एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

[फा. सं. एफ.2(14)2017-18/एओ(पी)/डीडीए] डी.सरकार, आयक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August 2019

Rationalization of the use conversion charges for Shop-cum-residence plots/ complexes / shop Plots later designated as LSCs

S.O. No.2891(E).— In exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government, in partial modification of the rates notified vide S.O. No. 3173(E) dated 29th June, 2018, hereby notifies the rates of the use conversion charges for Shop-cum-residence plots/ complexes / shop Plots later designated as LSCs as elaborated in the table hereunder:

Rates in Rs. Per sqm built up area

| Type of Use | Categories of colonies | Existing rates as per Part B of the Notification dated 29 nd June, 2018 | Proposed Rates |
|--------------------------------|------------------------|--|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Shop-cum-residence plots/ | Cat A & B | 22274/- | 6136/-* |
| complexes / shop | Cat. C & D | 14839/- | 4088/-* |
| Plots later designated as LSCs | Cat. E, F, G & H | 5576/- | 1536/-* |

^{*} For NDMC areas, use conversion charges shall be Rs. 12272/- sqm built up area for categories "A to H".

The above rates shall remain valid upto 28th June 2020 only. Thereafter, the same shall be reviewed and may be fixed as given in column 3 above.

Other terms and conditions as mentioned in the notification vide S.O. No. 3173(E) dated 29th June, 2018 shall remain the same.

[F. No. F. 2(14)2017-18/AO(P)/DDA] D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2019

सुविधा बाजारों/स्थानीय बाजारों और दुकान एवं आवासीय परिसरों/दुकान एवं आवासीय प्लॉटों/दुकान-प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों को युक्तिसंगत बनाना।

का.आ. 2892(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का.आ. सं. 3172 (अ) दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा अधिसूचित दरों में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्वारा सुविधाबाजारों/स्थानीय बाजारों और दुकान एवं आवासीय परिसरों/दुकान एवं आवासीय प्लॉटों/दुकान प्लॉटों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभारों की दरों को नीचे दी गई तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार अधिसूचित करता है:-

प्रति वर्ग मी निर्मित क्षेत्र की दरें रुपये में

| मौजूदा बढ़े हुए एफ.ए.आर. प्रभार | | | प्रस्तावित दरें [*] | | |
|--|-----------|--------------------|---|-----------|--------------------|
| 1 | | | 2 | | |
| दिनांक 29.06.2018 की अधिसूचना के खंड 4ए के अनुसार स्थानीय बाजार/सुविधा बाजार और दुकान एवं आवासीय परिसरों/दुकान एवं आवासीय प्लॉटों/दुकान प्लाटों के लिए | | | स्थानीय बाजार/सुविधा बाजार और दुकान एवं आवासीय परिसरों/दुकान एवं आवासीय प्लॉटों/दुकान प्लॉटों के लिए | | |
| ए एवं बी | सी एवं डी | ई,एफ, जी एवं एच | ए एवं बी | सी एवं डी | ई,एफ, जी एवं एच |
| 18160 | 7264 | 3632 | 4200 | 1680 | 840 |

*एन.डी.एम.सी. क्षेत्रों हेतु श्रेणी "ए से एच" के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार 4200/- रु प्रति वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र होगा।

उक्त दरें केवल 28 जून, 2020 तक मान्य रहेंगी। इसके पश्चात् इनकी समीक्षा की जाएगी और उक्त कॉलम 1 के अनुसार निर्धारित की जाएँगी।

का.आ.सं. 3172 (अ) दिनांक 29 जून, 2018 की अधिसूचना में यथा-उल्लिखित अन्य निबंधन एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

[फा. सं. एफ. 2(14)2017-18/एओ(पी)/डीडीए]

डी.सरकार, आयुक्त एवं सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2019

Rationalization of Addl. FAR charges for CSCs / LSCs and Shop-cum-residential complexes /shop-cum-residence plots/shop plots

S.O. 2892(E).—In exercise of the powers conferred under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), Delhi Development Authority with the prior approval of the Central Government, in partial modification of the rates notified vide S.O. No. 3172(E) dated 29th June, 2018, hereby notifies the rates of Addl. FAR charges for CSCs / LSCs and Shop-cum-residential complexes /shop-cum-residence plots/shop plots as elaborated in the table hereunder:

Rates in Rs. Per sqm built up area

| Existing Enhanced FAR charges | | | Proposed Rates * | | |
|---|-------|------------|---|-------|-------------|
| (1) | | | (2) | | |
| For LSC/CSC and Shop-cum-residential complexes / | | | For LSC/CSC and Shop-cum-residential complexes /shop- | | |
| shop-cum-residence plots/shop plots as per clause 4A of | | | cum-residence plots / shop plots | | |
| the notification dated 29.06.2018 | | | | | |
| A &B | C & D | E, F G & H | A &B | C & D | E, F, G & H |
| 18160 | 7264 | 3632 | 4200 | 1680 | 840 |
| | | | | | • |

^{*} For NDMC areas, Addl. FAR charges shall be Rs. 4200/- sqm built up area for categories "A to H".

The above rates shall remain valid up to 28th June 2020 only. Thereafter, the same shall be reviewed and may be fixed as given in column 1 above.

Other terms and conditions as mentioned in the notification vide S.O. No. 3172(E) dated 29th June, 2018 shall remain the same.

[F. No. F. 2(14)2017-18/AO(P)/DDA]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secy.